संशोधन

संख्याः 294/X-4-18/1(19)/2017

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर,
फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांकः 10 ~~जुलाई~~ सितम्बर, 2018

विषयः **जनपद–चमोली के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–58 के मौजूदा कि0मी0 420.400 से कि0मी0 420.600 नन्दप्रयाग व कि0मी0 423.500 से कि0मी0 423.850 में मैठाना व कि0मी0 437.400 से कि0मी0 437.500 में विरही भूष्खलन क्षेत्र का उपचार व सड़क चौडीकरण एवं सुदृढ़िकरण हेतु 7.983 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3043/UK/ROAD/24379/2017 दिनांक 03 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद **चमोली के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–58 के मौजूदा कि0मी0 420.400 से कि0मी0 420.600 नन्दप्रयाग व कि0मी0 423.500 से कि0मी0 423.850 में मैठाना व कि0मी0 437.400 से कि0मी0 437.500 में विरही भूष्खलन क्षेत्र का उपचार व सड़क चौडीकरण एवं सुदृढ़िकरण हेतु 7.983 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय** को प्रत्यावर्तन के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/21/2017/एफ0सी0/1587, दिनांक 20.12.2017 द्वारा प्रदत्त विधिवत् स्वीकृति के कम में वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–07/X-4-18/1(19)/2017 दिनांक 20.02.2018 में निहित निम्न शर्तो को नियमानुसार संशोधित किया जाता हैः–

1. शर्त संख्या–3 को हटाया जाता है।
2. शर्त संख्या–9 को संशोधित करते हुए "सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने ब्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी।"
3. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित करवाकर वन भूमि का मूल्य लिया जायेगा।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 20.02.2018 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

**संख्याः 294 (1)/X-4-18/1(19)/2017तददिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25, सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

7. परियोजना निदेशक, (पीआईयू), भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, 84/2 बसन्त विहार देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।